न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2016 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री खुमानचन्द पिता स्व. श्री देवाजी मेघवाल निवासी करणपुर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती वगतीबाई पत्नी स्व. श्री देवाजी मेघवाल निवासी करणपुर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री अम्बालाल पित स्व. श्री कन्नाजी मेघवाल जरिये बविलायत काका श्री खुमानचन्द पिता श्री देवाजी मेघवाल निवासी करणपुर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री नेतन पिता स्व. श्री कन्ना जी मेघवाल उम्र 10 वर्ष जरिये बविलायत काका श्री खुमानचन्द्र पिता श्री देवाजी मेघवाल निवासी करणपुर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती सवागी पत्नी श्री नारूजी मेघवाल निवासी बिछावेड़ा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती पालु पत्नी श्री वेणीराम जी मेघवाल निवासी ईटाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. श्रीमती मांगी पत्नी श्री चेनराम जी मेघवाल निवासी बालाथल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर दि0 05–07–2016 प्रकरण संख्या 214/2012 प्रार्थना पत्र

————

उपस्थित :—1— श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2— श्री नारायण लाल जाट अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या—2, 3
3— श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या—4

———————

निर्णय **दिनांक 17—09—2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम करणपुर में परिशिष्ठ **''क''** की आराजीयात संख्या 2003, 3048, 3049 कूल किता—3 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा तथा परिशिष्ठ **''ख''** की आराजी 3060 रकबा 15 बिस्वा स्थित है। वादपत्र के संलग्न सजरा पेश किया जो निम्नानुसार है :—

सजरा

।

<table>
<tr><td colspan="2">वगता</td><td>खिमा</td></tr>
<tr><td colspan="2">।
कालू
।</td><td>।
भेरा</td></tr>
<tr><td rowspan="4">।
मोती</td><td>।
देवा</td><td rowspan="4">।
कन्ना</td></tr>
<tr><td>। । ।
वगती कन्ना (फोत) खुमाण</td></tr>
<tr><td>।</td></tr>
<tr><td>। । ।
मांगीबाई अम्बालाल नेतन</td></tr>
</table>

निवेदन किया कि विवादित आराजीयात संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्तियां है, जो कन्ना जी के समय से चली आ रही है। प्रार्थीगण कन्नाजी के जाईन्दा पुत्रियां होकर उनकी विधिक वारिसान होकर उनके हिस्से पर काबिज है। कन्नाजी के मरने के बाद विपक्षीगण के मोरूष देवाजी ने षडयन्त्र पूर्वक आराजी नंबर 3048, 3049 तथा 3060 के 1/6 हिस्से को विरासत से अपने नाम त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज करवा लिया, जबकि विरासत से कन्नाजी की उत्तराधिकारी प्रार्थीगण थी। आराजी नंबर 2003 पर कन्नाजी का कब्जा था, पर इस भूमि को हड़पने के लिए विपक्षीगण के मोरूष देवाजी ने षडयन्त्र पूर्वक वरदा गाडरी को आवंटन करवाकर उससे नुमाईशी विक्रय पत्र देवाजी ने अपने नाम करवा लिया, जबकि कन्नाजी के समय से

कन्नाजी व उसके बाद प्रार्थीगण का कब्जा होने से वे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार है। विपक्षीगण त्रुटिपूर्ण राजस्व प्रविष्ठि के आधार पर प्रार्थीगण को बेदखल करना एवं हस्तानान्तरण करने को आमादा है। अतएव विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में विपक्षी अपीलान्ट संख्या–1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण भूमि पर काबिज नहीं है, वे अपने ससुराल रहती है। आराजी संख्या 2003 को देवाजी ने वरदाजी से दिनांक 24–12–1969 को रूपये 600/– में क्रय कर विक्रय पत्र पंजीकरण करवा कर नामान्तरकरण संख्या 1973 में खुलवा लिया तथा वे खातेदार व काबिज है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 3, 4, 5 की और से भी खण्डन का जवाब प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 5–7–2016 से रेस्पोंडेन्ट प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए विवादित भूमियों के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय क निर्णय दिनांक 5–7–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट विपक्षीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–7–2016 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या –2 व 3 की और से अधिवक्ता श्री नारायणलाल जाट ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4 की और से राजकीय अधिवक्ता औपचारिक पक्षकार के रूप में उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दौराने बहस वकील रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित रहे। अतएव अपीलान्ट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों मे वर्णित उजरात ही पुनः दोहराये तथा निवेदन किया कि कन्नाजी के मरे 60 वर्ष का समय हो गया है तथा कन्नाजी के बाद नामान्तरकरण से भूमियां अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई है। आराजी संख्या 2003 वरदाजी को आवंटित होकर देवाजी की क्रय शुदा भूमियां के रेस्पोन्डेन्ट कन्नाजी की पुत्रियां नहीं है। लोक अदालत में बिना सुने निर्णय पारित किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में आराजी संख्या 3048, 3049 के जमाबन्दी सम्वत् 2012 में कन्ना वल्द भेरा खातेदार दर्ज रेकार्ड है तथा आराजी संख्या 3060 में कन्ना वल्द भेरा 1/6 हिस्से का रेकार्डेड खातेदार है। नामान्तरकरण दिनांक 3–9–1976 से देवा के कथनों आधार पर कन्ना की इस आराजीयात की विरासत मोती व देवा के नाम दर्ज की गई है। प्रकरण में प्रार्थीगण का पुत्रियां नहीं होने का कोई आधार नहीं है। क्योंकि अपीलान्ट स्वयं उनका ससुराल रहना वर्णित करता है। प्रकरण में आराजी संख्या 3048 व 3060 के 1/6 हिस्सा प्रार्थीगण रेस्पोन्डेन्ट के पिता का होकर पुत्रियों के रूप में उनका उत्तराधिकार होना प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है। तद्नुसार इन आराजीयात बाबत् अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

प्रकरण में जहां तक आराजी संख्या 2003 का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट है कि उक्त आराजी वरदा को आवंटित होकर उसकी खातेदरी में होकर विक्रय पत्र पंजीकृत दिनांक 24–12–1969 से देवा द्वारा क्रय किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 704 वर्ष 1973 से उक्त आराजीयात देवा द्वारा क्रय की गई है। उक्त आराजीयात पर कन्ना पिता भेरा का कब्जा होना कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है तथा प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी का कोई विधिक आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है। तद्नुसार आराजी संख्या 2003 बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा त्रुटिपूर्ण होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 5–7–2016 से आराजी नंबर 2003 ग्राम करणपुर बाबत् अपीलान्ट के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17–09–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर